Form no. 111 App -A crim -1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

परमानन्द उर्फ परमा .... बनाम .... सरकार ....

किस्म मुकदमा:— 136 LR Act नं. 332/प्रा0पत्र/सत्र/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/2/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश हो। सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 01 अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 01 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)	
28/3/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
28/4/25	पत्रावली आज प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई करने बाबत पेश करने पर पेश हुई। पैरोकार सरकार ने प्रा० पत्र पर No Objection अंकित किया। TR रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पैरोकार सरकार ने जवाब प्रा० पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 30/4/25 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	TOR का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम परमा के स्थान पर परमा उर्फ परमानन्द पि० मोती जाति बोला संशोधित किया जावे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [initials]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

केस नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
332/प्रा.पत्र/2025	20.02.2025	30.04.2025

परमानन्द उर्फ परमा पुत्र श्री मोती उम्र 54 वर्ष जाति बोला निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 322 रकबा 0.2833 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/32 हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप मे अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी वाद वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। जब मुझ प्रार्थी के पिता मोती का इंतकाल हुआ तब उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी के बोलते नाम परमा पुत्र मोती नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ प्रार्थी का सभी दस्तावेजो में नाम परमानन्द पुत्र मोती लाल जाति बोला निवासी अकतासा अंकित है। जब तहसील तालेड़ा में नामान्तरण तस्दीक हुआ तो उक्त भूमि पर मुझ प्रार्थी का बोलता नाम परमा पुत्र मोती ही दर्ज किया जबकि मुझ प्रार्थी द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम परमा पुत्र मोती ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में प्रार्थी का नाम परमा पुत्र मोती ही दर्ज कर दिया। एल0आर0 एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हो तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजों की जांच कर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा नाम शुद्धिकरण करवाया जा सकता है। गलत नाम के चलते प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदारान प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है एवं इस बाबत् जब प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी अकतासा से एक माह पूर्व निवेदन किया की प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का अकतासा द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटौल की गई एवं प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार तहसीलदार तालेडा को आदेशित करे कि पुनः प्रार्थी के खाते की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर प्रार्थी का नाम परमानन्द उर्फ परमा पुत्र श्री मोती जाति बोला निवासी अकतासा शुद्धीकरण दर्ज कर अंकित करे। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 322 रकबा 0.2833 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा पटवार हल्का अकतासा तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है की भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम परमानन्द उर्फ परमा पुत्र श्री मोती जाति बोला निवासी अकतासा शुद्धीकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1384 दिनांक 26.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 322 रकबा 0.2833 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तालेडा तहसील

...न्दी खातेदार परमा आ0 मोती हिस्सा 1/32 के नाम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में ...न परमा के स्थान पर परमानन्द पुत्र मोती जाति बोला कराना चाहता है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार ...सार परमा एवं परमानन्द आ0 मोती जाति बोला एक ही व्यक्ति है अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। अतः परमा के बजाय परमानन्द आ0 मोती जाति बोला किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 285 याके ग्राम अकतासा संवत 2076 व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम परमा के बजाय परमानन्द आ0 मोती दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थी का नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 285 वाके ग्राम अकतासा संवत 2076 व आधार कार्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम परमानन्द है ना कि परमा। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 2076 नकल जमाबन्दी खाता सं0 285 वाके ग्राम अकतासा संवत 2076 मे प्रार्थी का नाम परमा के स्थान पर परमा उर्फ परमानन्द पि0 मोती जाति बोला संशोधित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

ह०/-

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा